रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252338
CG-DL-E-24022024-252338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945
No. 117] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

**सा.का.नि. 128(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1974, जहां तक उनका संबंध फोटोग्राफर श्रेणी 1 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में फोटोग्राफर श्रेणी 1 के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (फोटोग्राफर श्रेणी 1) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| फोटोग्राफर श्रेणी 1 | 1*(2023)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय । | वेतन मैट्रिकस में स्तर - 5 (29200-92300 रुपए) । | चयन |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। | <u>**प्रोन्नति :**</u><br>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे फोटोग्राफर श्रेणी 2 में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।<br>**टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**<br>1. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – अध्यक्ष;<br>2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य;<br>3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य। | लागू नहीं होता। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **प्रतिनियुक्ति :**<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी :-<br>(क) (i) जो मूल काडर विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुये हैं; या<br>(ii) जिन्होंने मूल काडर विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और<br>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हो :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण तथा<br>(ii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र।<br>**टिप्पण 1. -** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण 2. -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्वय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 3. -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

[फा. सं. 01/16/2023-सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd February, 2024

**G.S.R. 128(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Class III and Class IV posts), Recruitment Rules 1974, in so far as they relate to the post of Photographer Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographer Grade-I in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

**1. Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Photographer Grade-I), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Photographer Grade-I. | 01* (2023)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level – 5 in the pay matrix<br>(Rs. 29200 – 92300). | Selection. |

| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicabl | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| By promotion, failing which by deputation. | **Promotion:**<br>Photographer Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years regular service in the grade.<br><br>**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | **Group 'C' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:-**<br>1. Director, Botanical Survey of India – Chairperson;<br>2. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member;<br>3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member. | Not applicable. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Deputation:**<br>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,-<br>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or<br>(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and<br>(b) possessing the following educational qualifications,-<br>(i) 10+2 from recognised Board; and<br>(ii) Diploma or certificate of Photography from any Government recognised institute.<br>**Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications. | | |

[F. No. 01/16/2023-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA